




यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 74 /2020

तारीखरजू:- 11.8.2020

उनवान:- हरिप्रसाद बनाम शिवराम वगै0

दावा वावत घोषणा खातेदारी, बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा घारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
11.8.2020	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी, बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा घारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25.08.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
25.8.20	<p>वादी वकील उपस्थित। श्री मनोज कुमार शर्मा ADV. ने प्रतिवादी नं. 1 की ओर से तथा श्री रामप्रोसी गुहा ADV. ने प्रतिवादी नं. 2 की ओर से बकालतनामा पेश किये। प्रतिवादी नं. 7 की ओर से श्री प्रो. श्री रामप्रोसी गुहा ADV. ने पेश किया। प्रतिवादी नंबर 3, 4, 5, 6 ने सामन प्राप्त करने से इन्कार करने की रिपोर्ट छे लागील मानी जाती है। प्रतिवादी नं. 9 बापजूद सूत्रमा उपस्थित नहीं है। डितः प्रतिवादी नं. 3, 4, 5, 6, 9 के विरुद्ध खपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 8 का सामन बापिस प्राप्त नहीं हुआ है। कल्ले जबाब दावा व इन्तजार लागील दिनांक 15.9.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
15.9.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकतरी. ज्ञा.टी.टी.पर पत्रावली गतानुसार दिनांक 23.10.20 को पेश हो।</p>
23.10.20	<p>बकुलाय उपर। प्रतिवादी नं. 7 का बकालतनामा व जबाब पेश किया। जबाब की प्रति वकील वादी को दिलवाई। प्रतिवादी नं. 8 की लागील बापिस प्राप्त नहीं। पुनः तलाशी करीबें। एवं जबाब पेश करने समय फाटा/पचाप दिनांक 14.12.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

3541-49
11.8.2020



न्यायालय उप जिला कलेक्टर ले

लय उप जि

दिनांक	फर्द अहकाम
26 $\frac{3}{24}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन ररुन गया है। पीठासीन अधिकारी... प्रमाण पर पधारै है। गतानुसार दिनांक 29.4.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जि</p>
29 $\frac{4}{24}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपास्थान उपास्थान वास्ते तलबी एवं काफन शुकात दिनांक 5.5.24 को पेश हो।</p>
5 $\frac{5}{24}$	<p>अवकाश होने के कारण</p> <p>6 $\frac{5}{24}$ वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपास्थान पीठासीन अधिकारी... प्रमाण पर पधारै है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 2.6.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जि</p>
3 $\frac{6}{24}$	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपास्थान पीठासीन अधिकारी... प्रमाण पर पधारै है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.6.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जि</p>
5/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी उमय वादी वकील कोई उपस्थान नहीं हुआ। वार-वार भावाज दिखी गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थान नहीं हुआ। इसके बाद वादी का डाया भडम पेश की भडम डापिरी में खारेज किया जाता है। पत्रावली फैसलनुसार डेकर नम्बर 11 कम डेकर डाखिल उपर है।</p> <p style="text-align: center;">जि</p>